कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / Q-1 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांकः 09/09/2024

//सूचना//

प्रवेश वर्ष 2024 MBBS & BDS द्वितीय चरण हेतु आबंटन पूर्व संस्था चयन

छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 का नियम 7 के नियम **(x)** के अनुसार द्वितीय राउण्ड हेतु पात्र अभ्यर्थी संस्था चयन कर सकेंगे।

प्रवेश वर्ष 2024 MBBS & BDS द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. एक बार अभ्यर्थी काउंसिलिंग पोर्टल पर दूसरे चरण में भाग लेने की सहमति देता है, तो इसे वापस बदला नहीं जा सकता।
2. प्रथम चरण काउंसिलिंग में किये गये संस्था चयन संस्था स्वतः शून्य हो गये है, अर्थात्‌ आपका संस्था चयन रिक्त हो गया है, अतः द्वितीय राउण्ड हेतु आबंटन पूर्व पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें द्वितीय राउण्ड में संस्था आबंटन नहीं किया जा सकेगा।
3. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन के इच्छुक हैं तो, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन पूर्व संस्था चयन करना अनिवार्य है।
4. प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में आवंटन न मिलने पर उसकी पहले से प्रवेशित सीट सुरक्षित रहेगी। किन्तु, दूसरे चरण में एक नई सीट आवंटित होने पर प्रथम चरण में प्रवेशित सीट स्वतः ही रद्द हो जाएगी और उम्मीदवार का प्रथम चरण की सीट पर कोई दावा नहीं होगा।
5. *एक बार संस्था आवंटन होने के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों को पुनः समान संस्था आगामी किसी भी चरण में संस्था चयन (Choice) हेतु उपलबध नहीं होगी।*

द्वितीय राउण्ड हेतु आबंटन पूर्व संस्था चयन हेतु समय सारणी :–

प्रारंभ तिथि	दिनांक 09 सितम्बर 2024, समय **Server Time 20:30 Hrs (08:30 PM)** से
अंतिम तिथि	दिनांक 18 सितम्बर 2024, समय **Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM)** तक

क्रमशः—2—

नोट :–

1. आगामी आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट *www.cgdme.in* एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट *www.cgdme.admissions.nic.in* का नियमित अवलोकन करते रहें।
2. सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आबंटन छ०ग० शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

09/09/24

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.